

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

.....राजस्व..... बनाम सरकारजगदीश.....

किस्म मुकदमा :- 223

मिसल नं० 16/84 /

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुकम की तारीख में जारी हुये
29/7/21	<p>बत्री व कमीलां व कमीलां उपरिष्कृत नही। शासकीय अभिभाषक उपरिष्कृत। पत्रावली कार्रवाई करण दिनांक 2/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(भागवन्ती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	
5/8/21	<p>बत्री व कमीलां व कमीलां उपरिष्कृत नही। शासकीय अभिभाषक उपरिष्कृत। पत्रावली कार्रवाई करण दिनांक 12/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(भागवन्ती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	
12/8/21	<p>अभिव्यक्तगण उप.। पीछासीम अधिकारी राजकार्य से बाहर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">↓</p> <p style="text-align: right;">(राजस्व अपील प्राधिकारी) कोटा</p>	
26/8/21	<p>बत्री व कमीलां व कमीलां उपरिष्कृत नही। बत्री व कमीलां उपरिष्कृत। बत्री व कमीलां व कमीलां को अलग-अलग कर कार्रवाई लगवाई गई। इससे कावभू भी बत्री व कमीलां व कमीलां के उपरिष्कृत नही होने के कारण कमी व कमीलां मध्य शासकी व मदद बैरवी में शकरीत की जाती है। पत्रावली वाउ निर्गम कार्रवाई कम्प्लेट हो व नक्का से प्रग हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(भागवन्ती जेठवानी)</p>	